

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2020/8369-73

जयपुर, दिनांक 12-6-2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- मानसून के दौरान बाढ़ बचाव हेतु जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (EOC) पर नागरिक सुरक्षा बाढ़ बचाव टीम तैनात रखने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानसून वर्ष 2020 में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बाढ़ बचाव टीम को दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर तक जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (EOC) में लगातार 24 घण्टे (Round the Clock) उपलब्ध रखा जाता है, जिससे कि जब कभी भी आवश्यकता हो इनसे बाढ़ बचाव का कार्य लिया जा सके।

अतः प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बाढ़ बचाव टीम को उपरोक्त अवधि के लिए नियोजित करने एवं टीम में आवश्यकतानुसार सदस्य रखने हेतु जिला कलक्टरों को अधिकृत किया जाता है।

इस संबंध में जिले के उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा से सम्पर्क कर बाढ़ बचाव टीम नियोजित करावें। बाढ़ बचाव में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का उक्त तैनाती में प्राथमिकता दी जावे। जिला कलक्टरों द्वारा इन टीमों में तैनात किये जाने वाले स्वयं सेवकों को इस अवधि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार "आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के बाढ़ राहत मद" से किया जायेगा। इन टीमों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन व अन्य आवश्यक साजो सामान/उपकरण भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।

भवदीय



शासन सचिव

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
3. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा राजस्थान।


 संयुक्त शासन सचिव